भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 26

दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

नलगौंडा में पेयजल की समस्या

26. डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नलगौंडा जिले (तेलंगाना) के कई गांव पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) जी हाँ।

(ख) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, पूर्व नालगौंडा जिले में 500 जल की कमी वाली बसावटें हैं। उनमें से, 456 बसावटों को निजी स्रोतों को किराये पर लेकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और 44 बसावटों को जल ढुलाई द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इन बसावटों में भू-जल के पुनर्भरण के बाद किराये पर पेयजल की ढुलाई को बन्द कर दिया जाएगा।

ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकार को स्कीमों की योजना बनाने, डिजाइन करने और इन्हें कार्यान्वित करने की शक्ति प्राप्त है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयास का अनुपूरण करता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं, न कि सीधे किसी जिले को। इस मंत्रालय ने तेलगांना की राज्य सरकार को 2016-17 में 133.09 करोड़ रुपए और (12.07.2017 तक) 192.23 करोड़ रुपए जारी किए हैं।